

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी - शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 33/2018

दायर दिनांक - 16/03/2018

निर्णय दिनांक - 21/06/2018

अनवान

1. देवीलाल पिता छोगा ~~खोडा~~ ^{सुथार} निवासी गिलुण्ड तह0- रेलमगरा
2. पूरण पिता जगदीश सुथार निवासी गिलुण्ड तह0- रेलमगरा
3. सम्पत पिता जगदीश सुथार निवासी गिलुण्ड तह0- रेलमगरा
4. सुशिला पति सोहनलाल खटीक निवासी गिलुण्ड तह0- रेलमगरा
5. शीला पति प्रकाश खटीक निवासी गिलुण्ड तह0- रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1. अनिता पत्नि भैरूलाल टांक निवासी गिलुण्ड तह0- रेलमगरा
2. नारायणलाल पिता भैरूलाल कीर निवासी गिलुण्ड तह0- रेलमगरा
3. उदयलाल पिता भैरूलाल कीर निवासी गिलुण्ड तह0- रेलमगरा
4. भंवरलाल पिता वेणा कीर निवासी गिलुण्ड तह0- रेलमगरा
5. कालुराम पिता नगजी कीर निवासी गिलुण्ड तह0- रेलमगरा
6. तहसीलदार महोदय जरिये भूमिधारक रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया कि ग्राम गिलुण्ड की सरहद में स्थित वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 2020 रकबा 00-16 बीघा स्थित है। वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी में वादीगण संख्या 01, 02, 03 के संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 04 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 05 का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 3/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 05 का 1/8 हिस्सा रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज है तथा भूमि के विकास के लिये वादी राजस्व रेकार्ड में विभाजन कराकर मौके पर स्वतंत्र आधिपत्य प्राप्त करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना है कि वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कब्जे अनुसार विभाजन करवाया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 से 05 बावजूद सुचना के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा

210

मूल वाद मे डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :- शक्ति सिंह माटी आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या :- 33/2018

अनवान

वादी पक्ष :-

1. देवीलाल पिता छोगा ~~जाट~~^{दुधर} निवासी गिलुण्ड तह०- रेलमगरा
2. पूरण पिता जगदीश सुथार निवासी गिलुण्ड तह०- रेलमगरा
3. सम्पत पिता जगदीश सुथार निवासी गिलुण्ड तह०- रेलमगरा
4. सुशिला पति सोहनलाल खटीक निवासी गिलुण्ड तह०- रेलमगरा
5. शीला पति प्रकाश खटीक निवासी गिलुण्ड तह०- रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :-

1. अनिता पत्नि भैरूलाल टांक निवासी गिलुण्ड तह०- रेलमगरा
2. नारायणलाल पिता भैरूलाल कीर निवासी गिलुण्ड तह०- रेलमगरा
3. उदयलाल पिता भैरूलाल कीर निवासी गिलुण्ड तह०- रेलमगरा
4. भंवरलाल पिता वेणा कीर निवासी गिलुण्ड तह०- रेलमगरा
5. कालुराम पिता नगजी कीर निवासी गिलुण्ड तह०- रेलमगरा
6. तहसीलदार महोदय जरिये भूमिधारक रेलमगरा


दावा :- ~~खेती~~ विभाजन

वादी की ओर से :- दिनेश आचार्य

प्रतिवादी की ओर से :- एम०एल० सालवी

में इस आशय मे दिनांक 21.06.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम गिलुण्ड की सरहद में स्थित वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 के मंयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 2020 रकबा 00-16 बीघा का तहसीलदार लमगरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार है

नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1 देवीलाल पिता छोगा 1/3, पुरणमल, सम्पतलाल पिता जगदीश 2/3 सुथार सा.देह खातेदार	2020 मीन	00-04	0.70
योग:-	किता - 01	00-04	0.70
2 सुशीलादेवी पति सोहनलाल खटीक सा.देह खातेदार	2020/5	00-02	0.35



सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

	योग:-	किता - 01	00-02	0.35
3	शीलादेवी पति प्रकाशचन्द्र खटीक सा.देह खातेदार	2020/4	00-02	0.35
	योग:-	किता - 01	00-02	0.35
4	अनितादेवी पति भैरूलाल 3/4 टांक, भंवरलाल पिता वेणा 1/4 कीर सा.देह खातेदार	2020/1	00-04	0.70
	योग:-	किता - 01	00-04	0.70
5	नारायणलाल, उदयलाल पिता भैरूलाल कीर सा. देह खातेदार	2020/2	00-02	0.35
	योग:-	किता - 01	00-02	0.35
6	कालुराम पिता नगजी कीर सा.देह खातेदार	2020/3	00-02	0.35
	योग:-	किता - 01	00-02	0.35

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 21/06/2018 को न्यायलय की मोहर एवम् मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।




 (शक्ति सिंह भाटी)
 सहायक कलक्टर
 (उप खण्ड अधिकारी)
 रेलमगरा